



भारत सरकार, खान मंत्रालय
 GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
 भारतीय खान ब्यूरो , क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
 INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
 फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

फाइल संख्या - CHG/BBR/Lst-02

खान कोड 38CHG19002

दिनांक 28/06/2022

प्रेषिति- श्री के सी झंवर, मनोनीत मालिक

कुकुरडीह चूना पत्थर खदान

मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, (यूनिट रावण

सीमेंट वर्क्स)

पोस्ट- ग्रासिम विहार, ग्राम-रावण,

जिला - बलौदा बाजार - भाटापारा- 493196

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार जिले में स्थित आपकी कुकुरडीह चूना पत्थर खदान, 251.53 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में।

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 14/06/2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री मयंक सैनी, महाप्रबंधक खान की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	The following deviations are observed against the proposal in the approved Review of Mining Plan vide letter no. बलौदा बाजार / चूप /खयो-1213/2019-रायपुर dated 09.12.2019 for the period from 2020-21 to 2024-25: i) In 2020-21 it was to proposed to 10.3 lakh Tonnes production of ROM. however it is observed that no ROM production is reported in 2020-21.in ii) In 2020-21 and 2021-22, OB/waste dumping was proposed between E 614046 - 614152 & N 2395861-2395870. However it is observed during inspection that dumping is also carried out in western part against the approved proposal. iii) In 2020-21, a Retaining wall of 114m and Garland drain of 162m were proposed around waste/OB dumps. Similarly in 2021-22, a retaining wall of 195m and Garland drain of 315m were proposed around waste/OB dumps were proposed. However it is observed during inspection that the proposed Retaining wall and Garland drain have not been constructed.
12(1)	The prospecting and mining operations have not been carried out in such a manner so as to ensure systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and protection of the environment. However it is observed during inspection that the boulder of limestone is dumped along with waste/OB at waste dump yard resulting threat to conservation of mineral.

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
3. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जा सकती हैं 1 नियम 12(1) का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर राशि 500000/- रुपये जुर्माना जमा करना होगा।
4. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें 1

भवदीय

(दयानन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर -
440001 Email-com.cz@ibm.gov.in
2. संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ़ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिटल कोम्प्लेक्स , नया रायपुर, छत्तिसगढ़- Email dgm.cg@gov.in

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो